Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में वादी की पुत्री का अपहरण करने की घटना कारित करने के आरोपी नूरदीन को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 04 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा-

श्री नरेश वेदवान
एडीजीसी

है0का0 अमन कुमार
कोर्ट पैराकार

अवगत कराना है कि वर्ष 2019 में अभियुक्त नूरदीन पुत्र नूर मौहम्मद निवासी कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत द्वारा वादी की पुत्री का अपहरण करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 459/2019 धारा 363/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 05.02.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो एक्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त नूरदीन को दोषी पाते हुए 04 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त नूरदीन को धारा 376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी में दोषमुक्त किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।

@baghpatpolice baghpatpolice Baghpat Police

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत **दिनाँक 05.02.2026**

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने सोशल मीडिया इंटाग्राम पर वायरल वीडियो में महापुरुषो एवं जाति विशेष को अपशब्द बोलने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.02.26 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री मोनू पुत्र सुभाष नि वासी चीरघर रोड कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि सोशल मीडिया इंटाग्राम पर अभि युक्त भारत पुत्र नामालूम नि वासी ग्राम काठा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा अपने इस्टांग्राम चैनल bharat-choudhary पर एक वीडियो वायरल किया गया है जिसमे अभि युक्त भारत द्वारा डा0 भीमराव अम्बेडकर व पूरी एस0सी0 जाति को सार्वजनिक तौर पर अभद्र व अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया है। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0- 82/26 धारा 196/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0- 82/26 धारा 196/352/351(2) बीएनएस से सम्बन्धित सोशल मीडिया इंटाग्राम पर वायरल हुए विडियो के अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति महापुरुषो एवं जातिगत टिप्पणी न करे। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

भारत पुत्र दिनेश निवासी ग्राम काठा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उत्तर प्रदेश पुलिस